**न्यायालय–अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, (त्वरित न्यायालय) द्वितीय, जनपद–सहारनपुर।**

**उपस्थितः–प्रबोध कुमार वर्मा (उच्चतर न्यायिक सेवा) (ID No.-UP1853)**

**सत्र परीक्षण संख्या–640/2018**

**C.N.R. Number:-UPSP010093822018**

\- - - - - - - - - - - - - - - - - -

**1. उ0 प्र0 राज्य**

**बनाम**

**1. आसिफ पुत्र रफीक, निवासी खान आलमपुरा, थाना जनकपुरी, जिला सहारनपुर।**

मु0अ0सं0–101/2009
धारा–398 एवं 401 भा0दं0सं0
थाना–कोतवाली देहात, जिला–सहारनपुर।

**एवं**

**C.N.R. No.:-UPSP010093842018**

**सत्र वाद संख्या–641/2018**

**1. उ0 प्र0 राज्य**

**बनाम**

**2. आसिफ पुत्र रफीक, निवासी खान आलमपुरा, थाना जनकपुरी, जिला सहारनपुर।**

मु0अ0सं0–102/2009
धारा–25/4 आयुद्ध अधिनियम
थाना–कोतवाली देहात, जिला–सहारनपुर।

# निर्णय

**1.** सत्र परीक्षण संख्या–640 / 2018 में पुलिस थाना कोतवाली देहात द्वारा मु0अ0सं0–101 / 2009 के मामले में अभियुक्त आसिफ के विरूद्ध धारा–398 व 401 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत आरोप–पत्र पर यह विचारण चला।

**2.** सत्र परीक्षण संख्या–641 / 2018 में पुलिस थाना कोतवाली देहात द्वारा मु0अ0सं0–102 / 2009 के मामले में अभियुक्त आसिफ के विरूद्ध धारा–25 / 4 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत आरोप–पत्र पर यह विचारण चला।

**3.** वादी मुकदमा उप निरीक्षक मगनवीर सिंह द्वारा दी गयी तहरीर / फर्द बरामदगी दिनांकित 24–02–2009 के अनुसार अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 24–02–2009 को उप निरीक्षक मगनवीर सिंह मय कां0 533 मौ0 परवेज, कां0 1482 शौकीन, कां0 52 जाहिद हुसैन मय सरकारी नं0–यू0पी0–11 ए0जी0 0002 मय कां0 441 सत्यब्रह्म के थाना हाजा से बहवाले रपट नं0–34 समय 20:20 बजे पर रवाना होकर चिलकाना रोड पर गस्त में मामूर था। जब चिलकाना रोड पर गस्त करते हुये ग्राम हल्लालपुर पहुंचे तो मुखबिर ने सूचना दी कि चिलकाना रोड पर गुडविल धर्मकांटे के पास सड़क किनारे खण्डहर में कुछ बदमाश बैठे चोरी की योजना बना रहे है, यदि जल्दी की जाये तो पकड़े जा सकते है। सूचना पर यकीन करके असनाए राह से जनता के गवाह फराहम करने की कोशिश की लेकिन भलाई बुराई व शातिर बदमाश होने के कारण कोई व्यक्ति गवाही के लिये तैयार नही हुआ। मजबूरी में आपस में एक दूसरे की तलाशी ले देकर यकीन किया कि किसी के पास कोई जुर्म सम्बन्धी वस्तु नही है। इसके बाद मय मुखबिर के चिलकाना रोड पर गुडविल धर्म कांटा के पास पहुंच कर सरकारी गाड़ी व कां0 441 सत्यब्रह्म को वही छोड़ गये। धर्मकांटा से करीब 10 कदम सहारनपुर की ओर चलकर मुखबिर ने इशारा करके बताया कि सामने सड़क किनारे वही खण्डहर है, जिसमें कुछ बदमाश चोरी / लूट की योजना बना रहे हैं। दबे पांव खंडहर के पास गए। दीवार की आड से खड़े होकर सुना। एक बदमाश कह रहा था कि भाई आसिफ बहुत दिन हो गए कोई कोई माल हाथ नहीं लगा है। आज किसी दुकान का ताला तोड़कर सामान चुराते हैं या आने जाने वाले किसी को लूटते हैं। यह सुनकर यकीन हो गया कि बदमाश किसी लूट / वारदात की योजना बना रहे हैं। एकदम दबिश देकर समय 23:30 बजे

मौके पर दो बदमाश पकड़ लिए, जिनमें से एक ने पूछने पर अपना नाम आसिफ पुत्र रफीक निवासी खानआलमपुरा थाना जनकपुरी बताया। इसकी तलाशी से एक आला नकब लोहा, जो एक सिरे से मुड़ा हुआ हुलिया मुताबिक फर्द लंबाई डेढ बालिस्त तथा पहनी पेंट से दाहिने सुडडे से एक छूरी बरामद हुई। दूसरे ने अपना नाम सलमान पुत्र फरमान निवासी खाता खेड़ी थाना मंडी सहारनपुर बताया। इसकी तलाशी से इसकी पेंट की बाई जेब से एक चाबी का गुच्छा जिसमें अलग–अलग किस्म की चाबी थी तथा दाहिने सुडडे से एक अदद छुरी बरामद हुई। जिसकी लम्बाई एक बालिस्त चार अंगुल है, जिसका फल एक बालिस्त एक तरफ से धारदार है व मूंठ चार अंगुल है, बरामद हुये। अभियुक्तगण को समय 23:30 बजे रात्रि गिरफ्तार किया गया। बरामदा छूरियों का लाईसेंस तलब किया तो दिखाने में कासिर रहे और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। अभियुक्तगण को उनके जुर्म धारा–398, 401 भा0दं0सं0, 25 / 4 आयुद्ध अधिनियम से अवगत कराते हुये हिरासत में लिये गये। गिरफ्तारी प्रपत्र तैयार किये गये। मानवाधिकार के नियमों का पूर्णतः पालन किया गया। आलानकब चाबी का गुच्छा व छूरियों को कब्जे में लिया गया। अभियुक्तगणों को उनके विधिक अधिकारों से अवगत कराते हुये गिरफ्तारी की सूचना देने की बाबत पूछा गया तो परिजनों को सूचना देना बताया गया। थाने से सूचना दी गयी थी व माल को बरामदगी अनुसार अलग–अलग कपड़े में रखकर सील कर सर्वे मोहर किया गया। फर्द मौके पर उप निरीक्षक द्वारा टार्च की रोशनी में लिखा गया।

**4.** वादी मुकदमा की उक्त फर्द बरामदगी प्रदर्श क–1 के आधार पर अभियुक्तगण आसिफ व सलमान के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–101 / 2009 अन्तर्गत धारा–398, 401 भारतीय दण्ड संहिता व मुकदमा अपराध संख्या–102 / 2009 में अभियुक्त आसिफ के विरूद्ध धारा–25 / 4 आयुध अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किये गये। दौरान विवेचना, विवेचक द्वारा गवाहों के बयान अंकित किये गये। नक्शानजरी मौके का मुआयना कर, तैयार किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या–101 / 2009 में अभियुक्तगण आसिफ व सलमान के विरूद्ध धारा–398, 401 भारतीय दण्ड संहिता व अभियुक्त आसिफ के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–102 / 2009 में 25 / 4 आयुद्ध अधिनियम के आरोप पाते हुए क्रमशः आरोप पत्र प्रदर्श क–6 व प्रदर्श क–7 न्यायालय

में प्रेषित किये गये, जिन पर विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट–प्रथम, सहारनपुर द्वारा दिनांक 05.05.2009 को प्रसंज्ञान लिया गया।

**5.** दिनांक 20.09.2018 को दाण्डिक वाद संख्या–3807/2018, सरकार बनाम आसिफ, अन्तर्गत धारा–398, 401 भारतीय दण्ड संहिता थाना कोतवाली देहात, विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट–प्रथम, सहारनपुर द्वारा सत्र न्यायालय को उपार्पित किया गया, जिस पर सत्र परीक्षण संख्या–640/2018 क्रमांकित किया गया। सत्र न्यायालय द्वारा दिनांक 05–10–2018 को अभियुक्त आसिफ के विरूद्ध धारा–398, 401 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोपों से इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

**6.** दिनांक 20.09.2018 को दाण्डिक वाद संख्या–3808/2009 सरकार बनाम आसिफ, अन्तर्गत धारा–25/4 आयुध अधिनियम, थाना कोतवाली देहात विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट–प्रथम, सहारनपुर द्वारा सत्र न्यायालय को उपार्पित किया गया, जिस पर सत्र परीक्षण संख्या–641/2018 क्रमांकित किया गया। सत्र न्यायालय द्वारा दिनांक 05–10–2018 को अभियुक्त आसिफ के विरूद्ध धारा–25/4 आयुद्ध अधिनियम में आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोपों से इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

**7.** सत्र परीक्षण संख्या–640/2018 व सत्र परीक्षण संख्या–641/2018 दोनों एक ही अपराध से सम्बन्धित होने के कारण दोनों मुकदमों को न्यायालय के आदेश दिनांकित 20–02–2020 के द्वारा एकजाई किया गया एवं सत्र परीक्षण संख्या–640/2018, सरकार बनाम आसिफ की पत्रावली को लीडिंग पत्रावली बनाया गया।

**8.** अभियोजन पक्ष की ओर से निम्न साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है:–

| **कम सं0** | **साक्षी का नाम** | **साक्षी सं0** |
|---|---|---|
| 1 | निरीक्षक मगनवीर सिंह गिल | **पी0डब्ल्यू0–1** |
| 2 | सेवानिवृत्त एच0सी0पी0 जयदेव मलिक | **पी0डब्ल्यू0–2** |
| 3 | हैड कां0 शौकीन राणा | **पी0डब्ल्यू0–3** |
| 4 | उप निरीक्षक मौ0 प्रवेज | **पी0डब्ल्यू0–4** |

**9.** अभियोजन की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज दाखिल कर साबित कराये गये हैं:–

| क0सं0 | प्रदर्श का विवरण | प्रदर्श सं0 | साक्षी |
|---|---|---|---|
| 1 | फर्द बरामदगी | **क–1** | निरीक्षक मगनवीर सिंह गिल–**पी0डब्ल्यू0–1** |
| 2 | गिरफ्तारी प्रपत्र | **क–2** | निरीक्षक मगनवीर सिंह गिल–**पी0डब्ल्यू0–1** |
| 3 | चिक | **क–3** | सेवानिवृत्त एच0सी0पी0 जयदेव मलिक–**पी0डब्ल्यू0–2** |
| 4 | जी0डी0 | **क–4** | सेवानिवृत्त एच0सी0पी0 जयदेव मलिक–**पी0डब्ल्यू0–2** |
| 5 | नक्शानजरी | **क–5** | सेवानिवृत्त एच0सी0पी0 जयदेव मलिक–**पी0डब्ल्यू0–2** |
| 6 | आरोप पत्र कागज सं0–3 | **क–6** | सेवानिवृत्त एच0सी0पी0 जयदेव मलिक–**पी0डब्ल्यू0–2** |
| 7 | आरोप पत्र कागज सं0–3क | **क–7** | सेवानिवृत्त एच0सी0पी0 जयदेव मलिक–**पी0डब्ल्यू0–2** |
| | **वस्तु प्रदर्श** | | |
| 1 | आला नकब | **1** | निरीक्षक मगनवीर सिंह गिल–**पी0डब्ल्यू0–1** |
| 2 | कपड़ा पुलिन्दा | **2** | निरीक्षक मगनवीर सिंह गिल–**पी0डब्ल्यू0–1** |
| 3 | छूरी | **3** | निरीक्षक मगनवीर सिंह गिल–**पी0डब्ल्यू0–1** |
| 4 | पुलिन्दा | **4** | निरीक्षक मगनवीर सिंह गिल–**पी0डब्ल्यू0–1** |

**10.** अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया गया।

**11.** प्रस्तुत मामले में धारा–398 एवं 401 भा.दं.सं. के अर्न्तगत अभियुक्त आसिफ को दोषसिद्ध किये जाने हेतु अभियोजन पक्ष पर यह सिद्ध करने का भार है कि दिनांक 24–02–2009 को समय करीब 11:30 बजे, स्थान गुडविल धर्मकांटे के पास जंगल ग्राम हलालपुर, अर्न्तगत थाना क्षेत्र कोतवाली देहात, जिला सहारनपुर में अभियुक्त आसिफ द्वारा सहअभियुक्त सलमान के साथ अभ्यस्त घूमती फिरती टोली के सदस्य थे जो अभ्यासतः चोरी या लूट करने के प्रयोजन से सहयुक्त थे एवं जिन्होने लूट या डकैती का प्रयत्न करते समय धातक आयुध से सज्जित थे। एवं अभियुक्त आसिफ के कब्जे से एक छुरी नाजायज बरामद की गयी। जिसको अपने पास रखने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं था।

**12.** उपरोक्त तथ्य को सिद्ध करने हेतु अभियोजन द्वारा **पी0डब्ल्यू–1 निरीक्षक मगनवीर सिंह गिल** को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया, जिसमें उक्त साक्षी ने यह कथन किया है कि–''मैं दिनांक 24.02.2009 को मैं थाना कोतवाली देहात पर बतौर निरीक्षक तैनात था। उस दिन मैं उप निरीक्षक हमराही सिपाही 533 मौहम्मद प्रवेज, कांस्टेबल 1482 शौकीन, कांस्टेबल 52 जाहिद हुसैन मय सरकारी गाड़ी व कांस्टेबल ड्राइवर सतब्रह्म के थाना हाजा से समय

रपट नंबर 34 पर वास्ते गश्त रवाना हुए थे। चिलकाना रोड पर गश्त करते हुए जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि गुडविल कांटे के पास सड़क किनारे खण्डर में कुछ बदमाश चोरी / लूट की योजना बना रहे हैं। सूचना पर मैं व हमराही बताए स्थान पर मुखबिर के साथ गए। रास्ते से जनता के साक्षी लेने का प्रयास किया। भलाई बुराई के डर से कोई व्यक्ति तैयार नहीं हुआ। गुडविल धर्मकांटे के पास ड्राईवर व गाड़ी को छोड़ा। इससे पहले हम कर्मचारीगण व मुखबिर ने एक दूसरे की जामा तलाशी आपस में ली और यकीन किया कि कोई जुर्म से संबंधित वस्तु नहीं है। धर्म कांटे से 10 कदम खण्डहर की तरफ चलकर इशारा करके मुखबिर ने बताया कि सामने खंडहर के अंदर ही बदमाश है, मुखबिर चला गया। दबे पांव खंडहर के पास गए। दीवार की आड़ से खड़े होकर सुना। एक बदमाश कह रहा था कि भाई आसिफ बहुत दिन हो गए कोई माल हाथ नहीं लगा है। आज किसी दुकान का ताला तोड़कर सामान चुराते हैं या आने जाने वाले किसी को चाकू दिखा कर लूटते हैं। यह सुनकर यकीन हो गया कि बदमाश किसी लूट / वारदात की योजना बना रहे हैं। एकदम दबिश देकर समय 23:30 बजे मौके पर दो बदमाश पकड़ लिए, जिनमें से एक ने पूछने पर अपना नाम आसिफ पुत्र रफीक, निवासी खानआलमपुरा थाना जनकपुरी बताया। इसकी तलाशी से एक आला नकब लोहा जो एक सिरे से मुड़ा हुआ हुलिया मुताबिक फर्द लंबाई डेढ बालिस्त तथा पहनी पेंट से दाहिने सुडडे से एक छुरी बरामद हुई। दूसरे ने अपना नाम सलमान पुत्र फरमान निवासी खाता खेड़ी थाना मंडी सहारनपुर बताया। इसकी तलाशी से इसकी पेंट की बाई जेब से एक चाबी का गुच्छा जिसमें अलग–अलग किस्म की चाबी थी तथा दाहिने सुडडे से एक अदद छुरी बरामद हुई। हुलिया मुताबिक फर्द है। अभियुक्तगण को जुर्म से अवगत कराकर माल व मुलजिम को कब्जे पुलिस लिया गया। माल को सील सर्वे मोहर किया गया। फर्द मौके पर मेरे द्वारा तैयार की गई थी। गिरफ्तारी प्रपत्र तैयार किया गया था। फर्द मौके पर अन्य हमराही को पढ़कर सुना कर उनके हस्ताक्षर कराए थे। फर्द की एक–एक नकल मुल्जिमान को देकर उनके निशानी अंगूठे लगवाए गए थे। माल व मुल्जिम को थाने ले जाकर मेरे द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। असल फर्द पेपर संख्या 4क / 3 पत्रावली पर मेरे सामने है जो मेरे लेख हस्ताक्षर में है, इस पर मेरे व अन्य कर्मचारीगण के तथा मुलजिमान के हस्ताक्षर व अंगूठे लगे हैं, इस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। मेरे द्वारा मौके पर ही गिरफ्तारी

प्रपत्र तैयार किया गया था, जो पत्रावली पर पेपर संख्या 7/1 मेरे सामने है। इस पर मेरे व अन्य कर्मचारीगण के हस्ताक्षर हैं तथा मुल्जिम के निशानी अंगूठे लगे हैं। इस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया। न्यायालय के समक्ष एक सील पुलिंदा खोला गया, उसमें से एक आला नकब निकला जो एक तरफ से मुड़ा है, दूसरी तरफ से नुकीला है। आला नकब पर वस्तु प्रदर्श–1 व कपड़ा पुलिंदा पर वस्तु प्रदर्श–2 डाला गया। न्यायालय के समक्ष एक सील पुलिंदा खोला गया, जिसमें से एक छुरी निकली। इस छुरी पर वस्तु प्रदर्श–3 व पुलिंदा पर वस्तु प्रर्दश–4 डाला गया, जो गिरफ्तारी के समय मुल्जिम आसिफ से बरामद हुए थे।''

**13.** अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्षी **पी0डब्ल्यू–2 सेवानिवृत्त एच0सी0पी0 जयदेव मलिक** के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ यह कथन किया गया है कि–''दिनांक 25.02.2009 को मैं बतौर सी0/सी0 थाना कोतवाली देहात पर तैनात था। मेरे द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–101/2009, अंतर्गत धारा–398, 401 भा0दं0सं0 बनाम आसिफ आदि 02 नफर अभियुक्त मु०अ०सं०–102/2009, अंतर्गत धारा–4/25 आर्म्स एक्ट बनाम आसिफ मुकदमा अपराध सं०–103/2009, अंतर्गत धारा–4/25 आर्म्स एक्ट बनाम सलमान मुकदमे पंजीकृत किए थे। तीनों मुकदमे एस.आई. गगन वीर सिंह (वादी) के द्वारा फर्द पर बरामद के आधार पर पंजीकृत कराए गए थे, जिनकी चिक मेरे द्वारा किता की गई थी, जो पत्रावली पर कागज संख्या–4/1 ता 4/2 मेरे सामने है, प्रमाणित करता हूं, जिस पर **प्रदर्श क–3** डाला गया। जी0डी0 में जिनका खुलासा रपट नं०–3 समय 2:20 बजे मेरे द्वारा किया गया था। जी0डी0 की कार्बन प्रति पत्रावली के कागज संख्या–5 मेरे सामने है, जिसे मैं प्रमाणित करता हूं, जिस पर **प्रदर्श क–4** डाला गया। असल जी0डी0 गुजरने मयाद अवधि नष्ट की जा चुकी है। मेरा उक्त मुकदमें में दिनांक 13.05.2025 को पूर्व में बयान दर्ज हुआ था। आज मैं माननीय न्यायालय के आदेश पर पुनः उपस्थित हुआ हूं। मेरे द्वारा उक्त मु०अ०सं०–101/2009, अन्तर्गत धारा–398, 401 आई०पी०सी० बनाम आसिफ आदि दो नफर अभि० व मु०अ०सं०–102/2009, अन्तर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम आसिफ की चिक व जी०डी० किता की थी। उक्त मुकदमों की विवचना एस०आई० रणवीर सिंह तोमर द्वारा सम्पादित की थी। उप निरीक्षक श्री रणवीर सिंह तोमर की मृत्यु हो चुकी है। मैं उनके साथ थाना कोतवाली देहात पर तैनात रहा हूं। मैंने उनको लिखते पढ़ते देखा है। मैं उनके हस्तलेख व हस्ताक्षर को

पहचानता हूं। उक्त मुकदमों की विवेचना संपादित करते हुये एस०आई० रणवीर सिंह तोमर द्वारा सी०डी० नम्बर 01 व सी०डी० नम्बर 02 किता की। नक्शानजरी बनाया, जो पत्रावली पर कागज संख्या–6 पर मौजूद है, जिन पर मैं उनके हस्ताक्षर को पहचानता हूं। नक्शानजरी पर **प्रदर्श क–5** डाला गया और मु0अ0सं0–101/2009 में अभि० आसिफ के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा–398 एवं 401 आई०पी०सी० में माननीय न्यायालय में प्रेषित किया। आरोप पत्र पत्रावली के कागज संख्या 03 पर मौजूद है जिस पर मैं उनके हस्ताक्षर को पहचानता हूं, जिस पर **प्रदर्श क–6** डाला गया। मु0अ0सं0–102/2009 अन्तर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में उपनिरीक्षक रणवीर सिह तोमर द्वारा पर्याप्त साक्ष्य व सबूतों के आधार पर अभि० आसिफ पुत्र रफीक के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय मे प्रेषित किया। आरोप पत्र पत्रावली सत्र परीक्षण सं0–641/2018 के कागज संख्या उक्त पर मौजूद है, जिस पर मैं उनके हस्ताक्षर को पहचानता हूं, आरोप पत्र पर **प्रदर्श क–7** डाला गया।''

**14.** अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्षी **पी0डब्ल्यू–3 हैड कां0 शौकीन राणा** के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ यह कथन किया गया है कि–''दिनांक 24.02.2009 को मै बतौर कॉ० थाना कोतवाली देहात पर तैनात था। उक्त दिनांक को थाने से मैं समय 20:20 बजे रपट नं० 34 उपनिरीक्षक मगनवीर सिंह, कॉ० 533 मौहम्मद प्रवेज, कॉ० जाहिद हुसैन के साथ मय सरकारी गाड़ी चालक कॉ० सतब्रहम रवाना होकर गश्त करते हुये जब ग्राम हलालपुर पहुंचे तो जरिये मुखबिर खास सूचना मिली की कुछ बदमाश गुड विल धर्म कांटे के पास खण्डर में कुछ बदमाश चोरी की योजना बना रहे है। इस सूचना पर विश्वास कर हम पुलिस वालों ने जनता के गवाह लेने का प्रयास किया लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। हमने गुडविल धर्मकांटे के पास गाडी में चालक को छोडकर आपस में जमा तलाशी ले देकर यह यकीन किया कि जुर्म से सम्बन्धित किसी के पास कोई वस्तु तो नहीं है। धर्म कांटे से 10 कदम खण्डर की तरफ चलकर मुखबिर ने खण्डर की तरफ ईशारा करके बताया कि सामने खण्डर के अंदर बदमाश है और यह बता कर मुखबिर चला गया। हम दबे पांव खण्डर की तरफ गये और आड लेकर हमने सुना कि एक बदमाश कह रहा था कि आसिफ बहुत दिन हो गये कोई हाथ नहीं लगा। आज किसी दुकान का ताला तोडकर सामान चुराते है या आने जाने वाले किसी को छुरी दिखाकर लुटेंगें। यह सुनकर हमें यकिन हो गया कि ये सभी किसी लूट वारदात की योजना

बना रहे है। हमने दबिश देकर दोनो को पकड़ लिया। नाम पता पूछते हुये जमा तलाशी ली गई तो पहले ने अपना नाम आसिफ पुत्र रफीक निवासी खानआलमपुरा थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर बताया इसकी जमा तलाशी से दाहिने हाथ से एक अदद आला नकब जो एक ओर से मुडा हुआ व पहने पैंट के दाहिने सुड्डे से एक अदद नाजायज छुरी बरामद हुई। दूसरे से अपना नाम सलमान पुत्र फुरकान निवासी खाताखेडी बताया जिसकी तलाशी से पैंट की बाई जेब से एक चाबी का गुच्छा जिसमें अलग–अलग तरफ की पांच चाबी थी और दांहिने सुड्डे से एक छुरी बरामद हुई। अभियुक्तगण को हिरासत में लेकर दारोगा जी मगनवीर सिंह द्वारा फर्द तैयार की थी व माल को सील सर्वे मोहर किया था और गिरफ्तारी प्रपत्र तैयार किया था। फर्द को पढ़कर सुनाकर हम पुलिस कर्मचारीगण के हस्ताक्षर करवाये थे व अभियुक्तगण को एक प्रति देकर उनके निशानी अगूंठे फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी पत्र पर लगवाये थे। गवाह ने फर्द बरामदगी प्रदर्श क–1 व गिरफ्तारी प्रपत्र प्रदर्श क–2 पर अपने हस्ताक्षर शिनाख्त किये। फिर अभियुक्तगण को थाने ले जाकर दारोगा मगनवीर सिंह द्वारा मुकदमें पंजीकृत करवाये थे। इस घटना के सम्बन्ध में विवेचक ने मेरा बयान लिया था।''

**15.** अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्षी **पी0डब्ल्यू–4 उप निरीक्षक मौ0 प्रवेज** के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ यह कथन किया गया है कि–''दिनांक 24.02.2009 को मैं बतौर कॉ० थाना कोतवाली देहात पर तैनात था। उक्त दिनांक को थाने से मैं समय 20:20 बजे रपट नं० 34 उपनिरीक्षक गगनवीर सिंह व कॉ० शौकीन, कॉ० जाहिद हुसैन के साथ मय सरकारी गाडी चालक कॉ० सतब्रहम रवाना होकर चले तो जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि कुछ बदमाश गुडविल धर्म कांटे के पास खण्डर में चोरी की योजना बने रहे हैं। इस सूचना पर विश्वास कर हम पुलिस वालों ने जनता के गवाह लेने का प्रयास किया लेकिन भलाई बुराई के डर से कोई तैयार नहीं हुआ। हमने गुडविल धर्मकाटे के पास गाड़ी में चालक को छोड़कर आपस में जमा तलाशी ले देकर धर्मकांटे से 10 कदम खण्डर की तरफ चलकर मुखबिर ने बताया कि खण्डर की तरफ ईशारा करके बताया कि सामने खण्डर के अंदर बदमाश है। हम दबे पांव खण्डर की तरफ बढ़े और आड लेकर हमने सुना कि एक बदमाश कह रहा था कि आसिफ बहुत दिन हो गये कोई हाथ नहीं लगा। आज किसी दुकान का ताला तोड़कर सामान चुराते है या आने जाने वाले किसी को छुरी दिखाकर लुटेंगे। यह सुनकर हमे यकीन हो गया

कि ये सभी किसी लूट वारदात की योजना बना रहे हैं। हमने दबिश देकर दोनों को पकड़ लिया। नाम पता पूछते हुये जमा तलाशी ली गई तो पहले ने अपना नाम आसिफ पुत्र रफीक निवासी खानआलमपुरा थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर बताया। इसकी जमा तलाशी से दाहिने हाथ से एक अदद आला नकब, जो एक ओर से मुड़ा हुआ व पहने पैंट के दाहिने सुड्डे से एक अदद नाजायज छुरी बरामद हुई। दूसरे ने अपना नाम सलमान पुत्र फुरकान, निवासी खाताखेड़ी बताया, जिसकी तलाशी से पैंट की बाई जेब से एक चाबी का गुच्छा, जिसमें अलग–अलग तरफ की पांच चाबी थी और दाहिने सुड्डे से एक छुरी बरामद हुई। अभियुक्तगण को हिरासत में लेकर दारोगा जी गगनवीर सिंह द्वारा फर्द तैयार की थी व माल को सील सर्वे मोहर किया था और गिरफ्तारी प्रपत्र तैयार किया था। फर्द को पढ़कर सुनाकर हम पुलिस कर्मचारीगण के हस्ताक्षर करवाये थे व अभियुक्तगण को एक प्रति देकर उनके निशानी अगूंठे फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी पत्र पर लगवाये थे। गवाह ने फर्द बरामदगी प्रदर्श क–1 व गिरफ्तारी प्रपत्र प्रदर्श क–2 पर अपने हस्ताक्षर शिनाख्त किये। फिर अभियुक्तगण को थाने ले जाकर दारोगा मगनवीर सिंह द्वारा मुकदमें पंजीकृत करवाये थे। इस घटना के सम्बन्ध में विवेचक ने मेरा बयान लिया था।''

**16.** अभियुक्त आसिफ का बयान अर्न्तगत धारा–313 दं0प्र0सं0 दिनांक 13–02–2026 को अंकित किया गया। अभियुक्त ने अपने विरूद्ध झूठा मुकदमा चलने का कथन किया एवं सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा परन्तु पर्याप्त अवसर देने के बाद भी सफाई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया ।

## <u>निष्कर्ष</u>

**17.** बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन द्वारा झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। अभियोजन के कथानक में काफी विरोधाभाष है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नही है। रवानगी की जी0डी0 पत्रावली पर नही है ना ही जी0डी0 को साबित कराया गया है। अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद माल का नमूना मोहर पत्रावली पर नही है, जिससे यह साबित हो सके कि जो बरामदगी अभियुक्तगण से दर्शायी गयी है उस पर लगी मोहर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत माल पर लगी मोहर से ही संबंधित है। माल पुलिन्दा पर मुल्जिम के हस्ताक्षर नही कराये गये है। फर्द बरामदगी साबित नही है। मौके पर रोशनी को लेकर

गवाहो के बयानो में विरोधाभास है। विवेचक का बयान नही कराया गया है। धारा–398 व 401 भा0दं0सं0 के अपराध के गठन हेतु तत्व पूर्ण नही हो रहे है। साक्षीगण के साक्ष्य में तात्विक विरोधाभाष है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष घटना को साबित नही कर सका है। अतः अभियुक्तगण दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

**18.** जबकि अभियोजन की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा किया गया अपराध गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। विस्तृत विवेचना उपरान्त विवेचक ने आरोप पत्र प्रेषित किया है। अभियोजन की ओर से जो भी गवाह प्रस्तुत किये गये है, उन्होनें घटना को साबित किया है। अभियुक्तगण के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। अतः अभियुक्तगण दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

**19.** बचाव पक्ष के इस तर्क पर कि घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नही है, यदि विचार किया जाये तो इस संबंध में सर्वप्रथम निम्नलिखित निर्णयज विधियों का उल्लेख करना समीचीन होगा।

**20.** माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित निर्णयज विधि **इन्दु अंसारी बनाम उ०प्र०राज्य 2014 (17) R.C.R. (Criminal) 647** में यह अवधारित किया गया है कि जनता का कोई गवाह प्रस्तुत न करना मामले को कमजोर बना देता है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा **फिरोज एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2004 सी०बी०सी० पेज 65** में यह अवधारित किया गया है कि यदि जनता के गवाह मामले में शामिल किये जा सकते थे, परन्तु नही किये गये तो यह प्रतिकूल अवधारणा की जायेगी कि जिस प्रकार की घटना अभियोजन द्वारा बताई गई है, ऐसी घटना घटी ही नहीं।

**21.** साक्षी पी0डब्लू0–1 निरीक्षक मगनवीर सिंह गिल ने अपने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि, ''सूचना पर मैं व हमराही बताये स्थान पर मुखबिर के साथ गये। रास्ते से जनता का साक्षी लेने का प्रयास किया। भलाई–बुराई के डर से कोई व्यक्ति तैयार नही हुआ। गुडविल धर्मकांटे के पास गाड़ी व ड्राईवर को छोड़ा।'' इस साक्षी द्वारा अपने जिरह में कहा गया है कि, ''जिन व्यक्तियों से हमने गवाही को कहा था, उनमें से किसी का नाम पता नोट नही किया था क्योंकि भलाई बुराई के डर से किसी ने नही बताया था।

**22.** साक्षी पी0डब्लू0–3 हैड कां0 शौकीन राणा ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि, ''जब मैं ग्राम हलालपुर पहुंचे तो जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि कुछ बदमाश गुडविल

धर्मकांटे के पास खण्डहर में कुछ बदमाश चोरी की योजना बना रहे है। इस सूचना पर विश्वास कर हम पुलिस वालों ने जनता के गवाह लेने का प्रयास किया लेकिन कोई तैयार नही हुआ। इस साक्षी द्वारा अपने जिरह में कहा गया है कि, ''मुखबिर के सूचना के बाद हम पुलिस वालों ने आपस में एक–दूसरे की जामा तलाशी ली थी। उस जामा तलाशी की फर्द नही बनायी थी। हमने वहां आस–पास के लोगों से जामा तलाशी लेने के वक्त गवाही के लिये कहा था लेकिन कोई गवाही को तैयार नही हुआ था। जिन लोगों से गवाही के लिये कहा, उनके नाम पते हमने नोट नही किये थे। मुझे इस बात की जानकारी है कि अगर कोई पुलिस कार्यवाही में सहयोग नही करता है तो उसके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है। हमने जनता के जिन लोगों से गवाही के लिये कहा था, उन्होनें मना कर दिया था। उनमें से किसी के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही की थी।''

**23.** साक्षी पी0डब्लू0–4 निरीक्षक प्रवेज ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि, ''जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि कुछ बदमाश गुडविल धर्मकांटे के पास खण्डहर में चोरी की योजना बना रहे है। इस सूचना पर विश्वास कर हम पुलिस वालों ने जनता का गवाह लेने का प्रयास किया लेकिन भलाई बुराई के डर से कोई तैयार नही हुआ।'' इस साक्षी ने अपने जिरह में कथन किया है कि, ''हमने जनता के कितने लोगों से गवाही के लिये कहा था, यह याद नही है लेकिन लोगों को गवाही के लिये कहा गया था। हमने जिन जनता के लोगों को गवाही के लिये कहा था, उनके नाम पता नोट नही किये थे। गाड़ी के छोड़ने वाले स्थान से घटनास्थल की दूरी करीब 60–70 कदम की थी। ये घटनास्थल सड़क से करीब 60 कदम की दूरी पर था।''

**24.** नक्शानजरी प्रदर्श क–5 में दर्शाया गया है कि गुडविल धर्मकांटे के पास जिस स्थान पर जीप व ड्राईवर को छोड़ा गया, उस स्थान को चिन्ह **X** से दर्शाया गया है तथा चिन्ह A से मुखबिर द्वारा ईशारा करना दर्शाया गया है। चिन्ह X से A की दूरी 10 कदम तथा चिन्ह A से B की दूरी 60 कदम दर्शायी गयी है। चिन्ह B से वह स्थान दर्शाया गया है, जहां पुलिस पार्टी द्वारा खण्डहर की पश्चिमी दीवार की आड़ लेकर मुल्जिमान द्वारा चोरी की योजना बनाते देखना व सुनना बताया जाता है। उक्त से स्पष्ट है कि गुडविल धर्मकांटे से खण्डहर की दूरी 60 से 70 कदम थी। जिसके बीच में पक्की सड़क आवाजाही के लिये बनी थी, जो कि एक

सार्वजनिक सड़क है। गुडविल धर्मकांटे पर किसी न किसी कर्मचारी की तैनाती अवश्य रहती है तथा नक्शानजरी में गुडविल धर्मकांटे के बायीं तरफ सेन्ट मैरिज स्कूल दर्शाया गया है। जहां पर रात्रि में चौकीदार अथवा अन्य स्टॉफ सुरक्षा के लिये रहते है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मौके पर जनता के गवाह आसानी से मिल सकते थे परन्तु अभियोजन द्वारा स्वतंत्र गवाह बनाने का कोई प्रयास नही किया गया ना ही किसी गवाह पर कोई कार्यवाही की गयी जिन्होने भलाई बुराई के डर से गवाह बनने से मना कर दिया था। इस प्रकार बचाव पक्ष के उक्त तर्क को बल मिलता है।

**25.** माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्णयज विधि व्यवस्था **Anoop Joshi V/s State, 1992 (2) C.C. Cases 314 (HC)** में मत व्यक्त किया है कि "It is repeatedly laid down by this Court that in such cases it should be shown by the police that sincere efforts have been made to join independent witnesses. In the present case, it is evident that no such sincere efforts have been made, particularly when we find that shops were open and one or two shop-keepers could have been persuaded to join the raiding party to witness the recovery being made from the appellant. In case any of the shopkeepers had declined to join the raiding party, the police could have later on taken legal action against such shopkeepers because they could not have escaped the rigours of law while declining to perform their legal duty to assist the police in investigation as a citizen, which is an offence under the IPC"

**26.** इस प्रकार उक्त निर्णीत विधियों के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि मामले में जनता के गवाह लेने का पूर्ण अवसर था और जनता के गवाह मामले में शामिल किये जा सकते थे परन्तु अभियोजन द्वारा अवसर होने के बावजूद भी जनता के गवाहों को शामिल नही किया गया है तब अभियोजन का मामला संदिग्ध हो जाता है।

**27.** बचाव पक्ष की ओर से अन्य तर्क यह दिया गया कि रवानगी की जी0डी0 पत्रावली पर नही है। जिस कारण अभियोजन कथानक साबित नही होता है। इस संबंध में निम्नलिखित निर्णयज विधि का उल्लेख करना समीचीन होगा।

**28.** माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा **मथुरा प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2005 सी०बी०सी० 220** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि रवानगी की जी०डी० पेश कर, न्यायालय में साबित नहीं किया जाता है, तो अभियोजन का कथानक कि अमुक समय

थाने से रवाना होकर उनके द्वारा सूचना प्राप्त की गयी और आरोपित घटना घटी, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। आरोपित घटना को साबित करने के लिए पुलिस कथानक पर तभी विश्वास किया जा सकता है, जबकि असल रवानगी जी०डी० न्यायालय में पेश कर उसे साबित किया जाये कि अभियोजन कथानक में बताये गये समय पर पुलिस बल थाने से रवाना हुआ था, अन्यथा यह माना जायेगा कि जो अभियोजन कथानक बताया जा रहा है, वह विश्वसनीय नहीं है।

**29.** साक्षी पी0डब्लू0—1 मगनवीर सिंह गिल ने अपने जिरह में कथन किया है कि, ''जब हम थाने से चले थे तो जी0डी0 व रवानगी पर हस्ताक्षर करके चले थे। असल जी0डी0 आज मेरे सामने नही है। साक्षी पी0डब्लू0—2 सेवानिवृत्त एच0सी0पी0 जयदेव मलिक ने अपने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि, ''जी0डी0 की कॉर्बन प्रति पत्रावली पर कागज सं0—5 मेरे सामने है, जिसे मैं प्रमाणित करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क—4 डाला गया। असल जी0डी0 गुजरने मियाद अवधि नष्ट की जा चुकी है।'' इस साक्षी द्वारा अपने जिरह में कथन किया गया है कि, ''उक्त मुकदमें की असल जी0डी0 आज मेरे सामने नही है।'' साक्षी पी0डब्लू0—3 हैड कां0 शौकीन राणा ने अपनी प्रति परीक्षा में कथन किया है कि, ''हम थाने से जी0डी0 में रवानगी करके चले थे। असल जी0डी0 मेरे सामने नही है।'' इस प्रकार उपरोक्त बयानों से स्पष्ट है कि न्यायालय के समक्ष रवानगी की असल जी0डी0 को प्रस्तुत कर साबित नही कराया गया है क्योंकि असल जी0डी0 नियमानुसार नष्ट की जा चुकी है। बल्कि जी0डी0 की कॉर्बन प्रति को न्यायालय में साबित कराया गया है जो कि पत्रावली पर मौजूद है। इस प्रकार बचाव पक्ष के उक्त तर्क में बल नही है।

**30.** बचाव पक्ष की ओर से अन्य यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद माल का नमूना मोहर पत्रावली पर नही है, जिससे यह साबित हो सके कि जो बरामदगी अभियुक्तगण से दर्शायी गयी है, उस पर लगी मोहर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत माल पर लगी मोहर से ही संबंधित है, जिस कारण अभियोजन का कथानक संदेहजनक हो जाता है। इस संबंध में साक्षी पी0डब्लू—1 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि, ''अभियुक्तगण को जुर्म से अवगत कराकर माल व मुल्जिम को कब्जे पुलिस लिया गया। माल को सील सर्वे मोहर किया गया। फर्द मौके पर मेरे द्वारा तैयार की गयी थी।'' जबकि

साक्षी द्वारा अपने जिरह में कथन किया गया है कि, ''नमूना मोहर बनाया गया था। आज नमूना मोहर मेरे सामने नही है।'' साक्षी पी0डब्लू0–3 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि, ''अभियुक्तगण को हिरासत में लेकर दरोगा जी मगनवीर सिंह द्वारा फर्द तैयार की थी व माल को सील सर्वे मोहर किया गया था और गिरफ्तारी प्रपत्र तैयार किया था।'' इस साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया है कि, ''मौके पर नमूना मोहर भी बनाया गया था। नमूना मोहर आज पत्रावली पर नही है।'' इसी प्रकार साक्षी पी0डब्लू0–4 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि, ''अभियुक्तगण को हिरासत में लेकर दरोगा जी मगनवीर सिंह द्वारा फर्द तैयार की थी व माल को सील सर्वे मोहर किया गया था।'' इस साक्षी द्वारा अपनी जिरह में स्वीकार किया गया है कि फर्द की नकल अलग–अलग दी थी, मौके पर एक फर्द व उसकी दो नकल तैयार हुयी थी। नमूना मोहर आज पत्रावली पर नही है।

**31.** इस संबंध में माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयज विधि **Anil Kerar vs. State of M.P. 2010 (II) MPJRSN 10** में यह अवधारित किया गया है कि नमूना मोहर न्यायालय में प्रस्तुत न करने पर बरामदगी संदेहजनक हो जाती है। अतः उपरोक्त साक्षीगण के बयानों से स्पष्ट है कि नमूना मोहर पत्रावली पर उपलब्ध नही है, जिस कारण अभियोजन का कथानक संदेहजनक हो जाता है।

**32.** बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि धारा–398 भा0दं0सं0 के तत्व पूर्ण नही हो रहे है, जिससे आरोप साबित नही होता है। धारा–398 भा0दं0सं0 में प्रावधानित है कि यदि लूट या डकैती करने का प्रयत्न करते समय अपराधी किसी घातक आयुद्ध से सज्जित होगा तो वह कारावास, जिससे ऐसा अपराधी दण्डित किया जायेगा, 07 वर्ष से कम का नही होगा। भारतीय दण्ड संहिता की धारा–398 से स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा घातक आयुद्ध से सुसज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न किया जायेगा तभी उक्त धारा के अधीन उन्हें दण्डित किया जा सकता है।

**33.** अपराध करने का प्रयत्न एक ऐसा कृत्य है, जो उस अपराध को कारित करने के आशय से किया जाता है, जो श्रेणीबद्ध कार्यों का एक अंश होता है एवं यदि कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हुई तो अपराध वस्तुतः कारित हुआ हो जाता। एक व्यक्ति किसी अपराध को कारित करने का प्रयत्न करता है जब–

(1) वह उसे कारित करने के लिये आवश्यक आशय अथवा ज्ञान से उसके कारित करने की दिशा में कोई कार्य करता है।

(2) इस प्रकार किया गया अपराध के कारित किये जाने से निकटता संबंधित और उसके समीपस्थ (proximate) है।

(3) कार्य अपने उद्देश्य की पूर्ति में, तथ्यों का उसे ज्ञान न होने के कारण अथवा परिस्थितयों के उसके नियंत्रण के बाहर होने के कारण, असफल हो जाता है।

**34.** इस प्रकार स्पष्ट है कि किसी अपराध को कारित का आशय या ज्ञान तथा अपराध कार्य करने से निकटता संबंधित हो और बाह्य परिस्थितियों के कारण वह अपराध पूर्णता को प्राप्त न हो सका हो तब प्रयत्न की श्रेणी में आयेगा।

**35.** इस संबंध में साक्षी पी0डब्लू0–1 ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि, ''एक बदमाश कह रहा था कि भाई आसिफ बहुत दिन हो गये, कोई माल हाथ नही लगा है, आज किसी दुकान का ताला तोड़कर सामान चुराते है या आने–जाने वाले किसी को छूरी दिखाकर लूट लेगें। यह सुनकर यकीन हो गया कि बदमाश किसी लूट वारदात की योजना बना रहे है।'' इस साक्षी द्वारा अपने जिरह में कथन किया गया है कि, ''मुल्जिमान की बातें हमनें दीवार की आड़ से 05–07 कदम की दूरी से सुनी थी। मुल्जिमान ने भागने की कोशिश की थी लेकिन हमने वहीं तुरन्त पकड़ लिया था।'' साक्षी पी0डब्लू0–3 ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि, ''हमें दबे पांव खण्डहर की तरफ गये और आड़ लेकर हमने सुना कि एक बदमाश कह रहा था कि आसिफ बहुत दिन हो गये कोई हाथ नही लगा। आज किसी दुकान का ताला तोड़कर सामान चुराते है या आने–जाने वाले किसी को छूरी दिखाकर लूटेगें। यह सुनकर हमें यकीन हो गया कि ये सभी किसी लूट वारदात की योजना बना रहे है। हमने दबिश देकर दोनों को पकड़ लिया।'' इस साक्षी ने अपने जिरह में कथन किया है कि, ''मैनें मुल्जिमान की बातचीत सुनी थी। मैनें इन मुल्जिमान की बात 10–15 गज की दूरी से सुनी थी। खूब जोर–जोर से बोल रहे थे। उसके बाद हमने इन्हें पकड़ लिया था। इसी प्रकार साक्षी पी0डब्लू0–4 ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि, ''हम दबें पांव खण्डहर की तरफ बढ़े और आड़ लेकर हमने सुना कि एक बदमाश कह रहा था कि आसिफ बहुत दिन हो गये, कोई हाथ नही लगा, आज किसी दुकान का ताला तोड़कर सामान चुराते है या आने–जाने

वाले किसी को छूरी दिखाकर लूटेगें। यह सुनकर हमें यकीन हो गया कि ये सभी किसी लूट वारदात की योजना बना रहे है। हमने दबिश देकर दोनों को पकड़ लिया।'' इस साक्षी द्वारा अपने जिरह में कथन किया गया है कि, ''मुल्जिमान आपस में बात कर रहे थे। हमने मुल्जिमान की आवाज सुनते ही उनको पकड़ लिया था।''

**36.** इस प्रकार उपरोक्त साक्षियों के साक्ष्य से स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा कोई चोरी या लूट का प्रयास नही किया गया। फर्द बरामदगी में भी ऐसा कोई उल्लेख नही है, जिससे दर्शित होता हो कि अभियुक्तगण द्वारा लूट या चोरी का प्रयास किया गया हो। इस प्रकार उक्त प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुये यह स्पष्ट हो जाता है कि अभियुक्त के विरूद्ध धारा–398 भा0दं0सं0 के अपराध का आरोप साबित नही होता है।

**37.** बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि धारा–401 भा0दं0सं0 के तत्व पूर्ण नही हो रहे है, जिससे आरोप साबित नही होता है। धारा–401 भा0दं0सं0 में प्रावधानित है कि जो कोई इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात् किसी भी समय ऐसे व्यक्तियों की किसी घूमती फिरती या अन्य टोली का होगा, जो अभ्यासतः चोरी या लूट करने के प्रयोजन से सहयुक्त हो और वह टोली ठगो व डाकुओं की टोली ना हो, वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 07 वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

**38.** भारतीय दण्ड संहिता की धारा–401 में दिये गये उक्त प्रावधान से यह स्पष्ट होता है कि इस अपराध का गठन होने के लिये अभियुक्तगण अभ्यासतः चोरी या लूट के प्रयोजन से टोली का सदस्य हो। अर्थात् वह व्यक्ति जिस पर आरोप लगाया गया है, उसके द्वारा पूर्व में भी लूट अथवा चोरी का अपराध कारित किया गया हो।

**39.** पत्रावली के अवलोकन से दर्शित होता है कि अभियोजन की ओर से अभियुक्त का कोई पूर्व अपराधिक इतिहास प्रस्तुत नही किया गया है तथा ना ही किसी साक्षी द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य दिया गया है कि अभियुक्त द्वारा पूर्व में कोई चोरी या लूट का कोई अपराध कारित किया गया हो। किसी भी ऐसे स्वतंत्र साक्षी को अभियोजन के द्वारा परीक्षित नही कराया गया है, जिससे यह दर्शित हो सके कि अभियुक्त अभ्यासतः चोरी या लूट करने के प्रयोजन से संयुक्त रहे हो। इस प्रकार अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्षियों के साक्ष्य से अभियुक्त पर धारा–401 भा0दं0सं0 का लगाया गया आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे अभियोजन साबित

करने में असफल रहा है।

**40.** बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि माल पुलिंदा पर अभियुक्त के हस्ताक्षर नहीं है। हस्ताक्षर न होने से बरामदगी भी संदिग्ध हो जाती है। उक्त के संदर्भ में साक्षी पी0डब्लू0–1 के साक्ष्य का अवलोकन किया। उक्त साक्षी द्वारा अपनी जिरह में कहा गया है कि, ''आसिफ से बरामद छूरी व लोहा नकब के पुलिंदों पर आसिफ का अंगूठा लगवाया था लेकिन माल पुलिंदा पर अंगूठा अंकित नहीं है।'' उक्त बयान से ही स्पष्ट हो जाता है कि माल पुलिन्दें पर अभियुक्त आसिफ के हस्ताक्षर नहीं है, अतः बरामदगी संदिग्ध है।

**41.** बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मामले के विवेचक को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है, जिससे मामला संदिग्ध हो जाता है। पत्रावली पर साक्षी पी0डब्लू0 2 जयदेव मलिक एफ0आई0आर0 लेखक के बयानों का अवलोकन किया। अपनी मुख्य परीक्षा में इस साक्षी ने कहा है कि है कि, ''मेरे द्वारा उक्त मुकदमा अपराध संख्या–101/2009, अंतर्गत धारा–398, 401 भा0दं0सं0 बनाम आसिफ आदि दो नफर अभियुक्त, मुकदमा अपराध संख्या–102/2009, अंतर्गत धारा 25/4 आर्म्स एक्ट बनाम आसिफ की चिक व जी0डी0 किता की थी। उक्त मुकदमों की विवेचना रणवीर सिंह तोमर द्वारा संपादित की थी। उप निरीक्षक श्री रणवीर सिंह तोमर की मृत्यु हो चुकी है, मैं उनके साथ थाना कोतवाली देहात पर तैनात रहा हूं, मैंने उनको लिखते पढ़ते देखा है, मैं उनके हस्तलेख व हस्ताक्षर को पहचानता हूं।'' इस साक्षी द्वारा अपनी जिरह में कहा गया है कि, ''मैं केवल उनके हस्ताक्षर को पहचानता हूॅ, क्योंकि मैं उनके साथ तैनात रहा हूं और मैंने उनको लिखते पढ़ते देखा है। उपरोक्त से स्पष्ट हो जाता है कि उक्त मामले के विवेचक की मृत्यु हो चुकी है, उनके द्वारा दाखिल प्रपत्र को साक्षी पी0डब्लू0–2 के द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित किया गया है। इस प्रकार अभियोजन द्वारा विवेचक को परीक्षित न कराये जाने का स्पष्ट कारण दर्शित किया गया है। अतः बचाव पक्ष के तर्क में बल प्रतीत नहीं होता है।

**42.** बचाव पक्ष का अन्य तर्क है कि मौके पर रोशनी को लेकर गवाहो के बयानो में विरोधाभास है। उक्त के संबंध में साक्षी पी0डब्लू0–1 का अपनी जिरह में कथन है कि घटनास्थल पर आसपास के बल्ब की हल्की रोशनी थी। पी0डब्लू0–3 ने अपनी जिरह में कहा है कि, ''घटनास्थल पर रोशनी का कोई साधन नही था। नक्शानजरी **प्रदर्श क–5** का अवलोकन

किया, जिससे दर्शित होता है कि घटनास्थल के आसपास कोई खंबा व बल्ब नहीं दिखाया गया है। नक्शे में जहां से अभियुक्त को पकड़ा गया था, वहां आसपास कोई बिजली का खंबा या बल्ब नहीं दर्शाया गया है, तब हल्की रोशनी कहां से आ रही थी, इस प्रकार उक्त साक्षीगण के कथनों में विरोधाभाष स्पष्ट है।

**43.** इसके अलावा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियोजन साक्षियों के बयानों में तात्विक विरोधाभास विद्यमान है, जिससे घटना साबित नहीं होती है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में मैंने साक्षियों के बयानों का अवलोकन किया।

**44.** साक्षी पी0डब्लू0–1 मगन वीर सिंह गिल ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि, ''उस दिन मैं उप निरीक्षक हमराही सिपाही 533 मौहम्मद प्रवेज, कांस्टेबल 1482 शौकीन, कांस्टेबल 52 जाहिद हुसैन मय सरकारी गाड़ी व कांस्टेबल ड्राइवर के थाना हाजा से समय 20:20 बजे रपट नंबर 34 पर वास्ते गश्त रवाना हुए थे। चिलकाना रोड पर गश्त करते हुए जरिये मुखबिर सूचना मिली थी कि गुडविल कांटे के पास सड़क किनारे खंडहर में कुछ बदमाश चोरी / लूट की योजना बना रहे है। जबकि इस साक्षी द्वारा अपने जिरह में कहा गया है कि मुखबिर ने सूचना करीब रात्रि 11:00 बजे दी थी, जहां पर मुखबिर ने हमें सूचना दी थी, उससे पहले चिलकाना बस अड्डा नया पुराना कौड़ियों की पुलिया, चिलकाना रोड की कालोनी आदि में गश्त की थी

**45.** जबकि साक्षी पी0डब्लू0–3 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि, ''दिनॉक 24–02–2009 को मैं बतौर कांस्टेबल थाना कोतवाली देहात पर तैनात था। उक्त दिनॉक को थाने से मैं समय 20:20 बजे रपट नंबर 34 उपनिरीक्षक मगनवीर सिंह, कांस्टेबल 533 मौहम्मद प्रवेज, कांस्टेबल जाहिद हुसैन के साथ मय सरकारी गाड़ी चालक कांस्टेबल सतब्रह्म रवाना होकर गश्त करते हुए जब हम ग्राम हलालपुर पहुंचे तो जरिए मुखबिर खास सूचना मिली कि कुछ बदमाश गुडविल धर्मकांटे के पास खंडहर में कुछ बदमाश चोरी की योजना बना रहे है। जबकि इस साक्षी यानि पी0डब्लू0–3 द्वारा अपने जिरह में कहा गया है कि, ''थाने से चल कर हम लोग गश्त के लिए देहात क्षेत्र में दतौली राघड़ से होते हुए हम हलालपुर गांव की तरफ आए। हम हलालपुर में रजवाहे की पटरी के पास पहुंचे। हमें किस समय सूचना दी थी इस समय मेरे याद नहीं है।

**46.** इसी प्रकार साक्षी पी0डब्लू0–4 ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि, ''दिनांक 24–02–2009 को मैं बतौर कांस्टेबल थाना कोतवाली देहात पर तैनात था। उक्त दिनांक को थाने से मैं समय 8 बजे, रपट नंबर 34 उप निरीक्षक मगनवीर सिंह व कांस्टेबल शौकीन, कांस्टेबल जाहिद हुसैन के साथ मय सरकारी गाड़ी चालक कांस्टेबल सतब्रह्म रवाना होकर चले तो जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि कुछ बदमाश गुडविल धर्मकांटे के पास खंडहर में चोरी की योजना बना रहे है। जबकि इस साक्षी द्वारा अपने जिरह में कहा गया है कि हमें मुखबिर ने करीब रात में 11:00 बजे सूचना दी। मुखबिर के सूचना देने के स्थान से घटनास्थल की दूरी लगभग 01 किलोमीटर है। इस प्रकार उपरोक्त गवाहों के बयानों में सूचना प्राप्त करने के स्थान एवं समय में स्पष्ट भिन्नता दर्शित होती है, जो बचाव पक्ष के तर्क को बल प्रदान करता है।

**47.** इसके अलावा जब पुलिसकर्मी खंडहर के पास पहुंचे तो साक्षी पी0डब्लू0–1 ने अपने साक्ष्य में कहा है कि दबे पांव खंडहर के पास गए, दीवार की आड़ से खड़े होकर सुना। एक बदमाश कह रहा था कि भाई आसिफ बहुत दिन हो गए कोई माल हाथ नहीं लगा है। आज किसी दुकान का ताला तोड़कर सामान चुराते है या आने जाने वाले किसी को छूरी दिखा कर लूट लेंगे। इस साक्षी ने अपनी जिरह में कहा है कि मुल्जिमान की बातें हमने दीवार की आड़ से 5 से 7 कदम की दूरी से सुनी थी। साक्षी पी0डब्लू0–3 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कहा गया है कि हम दबे पांव खंडहर की तरफ गए और आड़ लेकर हमने सुना कि एक बदमाश कह रहा था कि आसिफ बहुत दिन हो गए, कोई हाथ नहीं लगा, आज किसी दुकान का ताला तोड़कर सामान चुराते है या आने जाने वाले किसी को छूरी दिखा कर लूटेंगे। जबकि इस साक्षी द्वारा अपने जिरह में कहा है कि मैंने मुल्जिमान की बातचीत सुनी थी। मैंने इन मुल्जिमान की बात 10–15 गज की दूरी से सुनी थी। खूब जोर–जोर से बोल रहे थे। इसी प्रकार साक्षी पी0डब्लू0–4 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कहा गया है कि हम दबे पांव खंडहर की तरफ बढ़े और आड़ लेकर हमने सुना कि एक बदमाश कह रहा था कि आसिफ बहुत दिन हो गए, कोई हाथ नहीं लगा, आज किसी दुकान का ताला तोड़कर सामान चुराते हैं या आने जाने वाले किसी को छूरी दिखाकर लूटेंगे। जबकि साक्षी द्वारा अपनी जिरह में कहा है कि मुल्जिमान आपस में बात कर रहे थे, हमने मुल्जिमान की आवाज सुनते ही उनको पकड़ लिया था। इस

प्रकार स्पष्ट है कि जब उनको मुखबिर द्वारा सूचना मिली और वह खंडहर पर पहुंचे तो उनको अभियुक्त बातचीत करते हुए सुनाई दिए परंतु यह अतिश्योक्तिपूर्ण लगता है कि अभियुक्त किसी घटना को कारित करने की योजना बनाते समय लगातार व जोर जोर से बाते करते रहें। जबकि पुलिस वालों को मुखबिर से सूचना प्राप्त होने और खण्डहर तक पहुंचने में आधे घण्टे से भी अधिक का समय लगा हो। इस प्रकार उक्त अभियोजन साक्षीगण द्वारा दिए गए मौखिक साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते है।

**48.** इस प्रकार पत्रावली पर मौजूद मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के परिशीलन से यह स्पष्ट हो चुका है कि अभियोजन द्वारा जनता का कोई गवाह उपलब्ध होने के बावजूद भी मामले में शामिल नहीं किया गया। नमूना मोहर भी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। धारा–398 व 401 भा0दं0सं0 के तत्व भी पूर्ण नहीं हो रहे है। इसके अलावा माल पुलिन्दे पर अभियुक्त के हस्ताक्षर नही है तथा साक्षीगण के साक्ष्यों में घोर विरोधाभाष है। इसके अलावा जो भी कथन किए गए हैं वह भी अतिशयोक्ति पूर्ण है। इस प्रकार अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोपो को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

## <u>आदेश</u>

**49.** अभियुक्त आसिफ को सत्र परीक्षण संख्या–640/2018, मुकदमा अपराध संख्या–101/2009, थाना कोतवाली देहात, जिला सहारनपुर के मामले में अभियुक्त आसिफ के विरुद्ध लगाए गए आरोप अंतर्गत धारा–398, 401 भारतीय दंड संहिता में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

**50.** अभियुक्त आसिफ को सत्र परीक्षण संख्या–641/2018, मुकदमा अपराध संख्या–102/2009, थाना कोतवाली देहात, जिला सहारनपुर के मामले में अभियुक्त आसिफ के विरुद्ध लगाए गए आरोप अंतर्गत धारा–25/4 आयुद्ध अधिनियम में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

**51.** अभियुक्त के बंधपत्र निरस्त किये जाते है तथा प्रतिभुओं को जमानत के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

**52.** अभियुक्त आसिफ जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियुक्त आसिफ का रिहाई आदेश अविलम्ब

जिला कारागार, सहारनपुर भेजा जाये। जिला कारागार अधीक्षक, सहारनपुर को निर्देशित किया जाता है कि यदि अभियुक्त आसिफ किसी अन्य मामले में निरूद्ध न हो तो उसे अविलम्ब रिहा किया जाये।

**53.** अभियुक्त आसिफ को निर्देशित किया जाता है कि अभियुक्त धारा–437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुपालन में मुबलिग 25,000/–(पच्चीस हजार) रूपये के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान राशि के एक प्रतिभू अन्दर सप्ताह न्यायालय में दाखिल करें।

**54.** माल मुकदमा वस्तु प्रदर्श–1 ता वस्तु प्रदर्श–4 बाद मियाद अपील नियमानुसार विनिष्ट किया जाये।

**55.** निर्णय की एक प्रति जिलाधिकारी, सहारनपुर को सूचनार्थ प्रेषित हो।

**56.** निर्णय की एक प्रति समेकित वाद सत्र परीक्षण सं0–641/2018 की पत्रावली पर रखी जाये।

दिनाँकः–24.07.2026

**(प्रबोध कुमार वर्मा)**
अपर सत्र न्यायाधीश,(त्वरित न्यायालय), द्वितीय
सहारनपुर।
**(ID No.-UP1853)**

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनाँकः–24.07.2026

**(प्रबोध कुमार वर्मा)**
अपर सत्र न्यायाधीश,(त्वरित न्यायालय), द्वितीय
सहारनपुर।
**(ID No.-UP1853)**



Digitally signed by PRABODH KUMAR VERMA
Date: 2026.07.24 14:45:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court